राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3819/2025

रामानंद गंगवार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ज्योति नगर, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड राजाखेड़ा, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद से सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड राजाखेड़ा जिला धौलपुर से सेवानिवृत्त हो चुका है तथा सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच न तो लंबित है और न ही कोई जांच प्रस्तावित थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के बाद केवल मात्र 28 वर्ष की सेवा की ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है जबकि अपीलार्थी नियमानुसार 28 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त 33 वर्ष की सेवा ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी है, जोकि आप द्वारा अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिको को भुगतान किया जा चुका है। लेकिन अपीलार्थी को बिना किसी कारण के 33 वर्ष की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी को 10 माह की 300 पी.एल. का भी भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अपीलार्थी उक्त 300 पी.एल. की राशि को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है तथा के समान अन्य कार्मिकों को उक्त 10 माह की 300 पी.एल. का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये। परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही 33 वर्ष की ग्रेच्युटी का एवं 300 पी.एल. का भुगतान किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित

करे कि अपीलार्थी को 33 वर्ष की ग्रेच्युटी का लाभ तथा 10 माह की 300 पी.एल. की राशि का भुगतान 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)